३५

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6 / प्रयोग01–108 / 2024– 1023 पटना, दिनांक– 5.6.25

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय– राज्य अंतर्गत राज्य रेफरल प्रयोगशाला तथा 38 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में Microbiological जाँच व्यवस्थापन हेतु नई विधि "Membrane Filtration Technique (MFT)" द्वारा कराने तथा अनुषांगिक कार्यो हेतु कुल–1348.52590 लाख रू0 (तेरह करोड़ अड़तालीस लाख बावन हजार पांच सौ नब्बे रूपये) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

राज्य के सभी जिलो में पेयजल नमूनो की जाँच हेतु 38 जिला स्तरीय एवं 75 अवर प्रमंडलीय जल जाँच प्रयोगशाला अधिष्ठापित है। इन प्रयोगशालाओं के द्वारा 'हर घर नल का जल' के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित सभी योजनाओं के जल स्त्रोत / उपचारित जल का रसायनिक पैरामीटर हेतु नमूनो की जाँच विभागीय प्रोटोकॉल के अनुरूप की जाती है। साथ ही, इन प्रयोगशालाओं के द्वारा जल के अन्य स्त्रोत और बाह्य नमूनों की भी जाँच की जाती है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी में Bacteriological Contamination एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण आमलोगो में बिमारियॉ फैलती है। बरसात के दिनों में आपूर्ति की जा रही जल में Bacteriological Contamination के बढने की संभावना बनी रहती है। वर्तमान में Bacteriological Contamination की जाँच MPN विधि से सिर्फ राज्य प्रयोगशाला में की जाती है। जिलों में इस जाँच को H_2S Vial के माध्यम से कराया जाता है। MPN विधि से जाँच में अधिक समय (48 घंटे) लग जाता है। जबकि MFT Technique से 21 ($\pm$2) घंटे का समय लगता है। इस प्रकार MFT विधि से जाँच में कम समय लगता है तथा परिणाम में स्पष्टता होती है। MFT तकनीक से जाँच प्रक्रिया MPN विधि से काफी सरल है। चूँकि Bacteriological Contamination के जाँच हेतु जल नमूनों का संग्रहण काफी Precaution एवं स्वच्छता से तथा जाँच कार्य वस्तु विषय पर समझ के साथ की जानी होती है। अतः, इसके जाँच हेतु सभी प्रयोगशालाओं में विषय विशेषज्ञ Microbiologist का रखा जाना आवश्यक है। Bacteriological जाँच हेतु नमूना संग्रहण एवं संरक्षण के उपरान्त प्रयोगशालाओं तक एक निश्चित अवधि में ही संकलित नमूनो का पहुँचाना आवश्यक होता है। अतः Bacteriological Contamination की जाँच की शुरूआत सभी जिला प्रयोगशालाओं में किया जाना आवश्यक है।

3. राज्य रेफरल प्रयोगशाला तथा सभी जिला प्रयोगशालाओं में जाँच के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक उपकरण एवं संयंत्रों का व्यवस्थापन केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से की जाएगी जिसमें 3 वर्ष का AMC सम्मिलित है। पूर्व से निर्मित प्रयोगशालाओं के एक कमरे के उपयोग के साथ अल्युमिनियम फ्रेमिंग (कमरा) से अतिरिक्त संरचना बनाकर कार्य की शुरूआत की जानी है। जिसे संबंधित प्रमंडल द्वारा कराया जाएगा। रसायन एवं Accessories Item का व्यवस्थापन प्रमंडलों के द्वारा ही किया जाएगा।

4. पाँच वर्षों के लिए बनाई गई इस योजना की कुल प्राक्कलित राशि **1348.52590 लाख रू0 (तेरह करोड़ अड़तालीस लाख बावन हजार पांच सौ नब्बे रूपये)** मात्र है। इस योजना का तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (रूपांकण) द्वारा दिया गया है। योजना की विवरणी का **'Annexure-A'** संलग्न है।

5. Bacteriological जांच व्यवस्थापन का विस्तार पटना में स्थापित एक राज्य रेफरल प्रयोगशाला तथा 38 जिलों में स्थापित जिला जल जांच प्रयोगशाला के लिए होगा। योजना के अंतर्गत सभी प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण, ग्लासवेयर, Accessories item एवं अन्य Item का व्यवस्थापन किया जाएगा। आवश्यक उपकरण एवं संयंत्रों का व्यवस्थापन केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से की जाएगी जिसमें 3 वर्ष का AMC सम्मिलित है। Bacteriological जांच हेतु NABL Accreditation भी लिया जाना है। योजना में रसायन 6 महीने का एवं NABL Accreditation कार्य में होने वाले व्यय सिर्फ एक वर्ष के लिए लिया गया है। योजना का क्रियान्वयन संबंधित प्रमंडलों के द्वारा कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रखे जाने वाले मानवबल (Microbiologist) को केन्द्रीकृत संविदा के माध्यम से रखा जाएगा। योजना के अंतर्गत रखे जाने वाले मानवबल (Microbiologist) की गणना तीन वर्षों के लिए की गयी है। इस योजना को 5 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

6. राज्य योजना मद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में जल गुणवत्ता मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला उन्नयन हेतु बजट प्रावधान है एवं इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष– 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–जल–पूर्ति, लघु शीर्ष–102–ग्रामीण जल पूर्ति, उपशीर्ष–0125–जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन, विपत्र कोड–36–4215011020125–विषय शीर्ष–0125.53.01–मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी विभागीय आवंटन के आधार पर संबंधित कोषागार से की जायेगी। आवश्यकतानुसार इस योजना हेतु राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत खोले गये बैंक खाते/पी0एल0 खाते के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन /मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

10. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

11. इस योजना के नियमित अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता (असैनिक) की होगी तथा निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

12. योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होने के उपरांत E-tendering के माध्यम से निविदा का आमंत्रण किया जाएगा।

13. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

14. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

16. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

17. योजना को आगामी 05 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।

18. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

19. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोपरि।

05/06/2025
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक :–6/प्रयोग01–108/2024– 1023 पटना– 15 ,दिनांक :– 5.6.25

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/ योजना एवं विकास विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/ कार्य प्रबंधन)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार)/मुख्य अभियंता (दक्षिणी बिहार)/ अधीक्षण अभियंता, (जल गुणवत्ता अनुश्रवण), उत्तरी बिहार/ अधीक्षण अभियंता, (जल गुणवत्ता अनुश्रवण), दक्षिण बिहार/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2/4/ उप निदेशक (मू०)/ प्रशाखा–6 /आई० टी० मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/ सभी अधीक्षण अभियन्ता/ सभी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

05/06/2025
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

270

Annexure – 'A'

Govt. of Bihar
Public Health Engineering Department
Vishveshwariya Bhawan, Bailey Road, Patna - 800015

Estimated cost for the Starting of Bacteriological Test in State Referreal Lab and 38 District Lab

Sl. No.	Particulars	Details	Estimated Cost (in Lakh)
A. Instruments			
1	Instruments	For 39 Labs (One State Lab & 38 District Lab) Rs. @812535/- Lab for Instruments with one year comprehensive warranty and two year AMC @10% per year.	31688881.00
B. Glasswares/Accessories/Other Items			
2	Glassware	For 39 Labs (One State Lab & 38 District Lab) Rs. @120492/- Lab for Glasswares.	4699188.00
3	Accessories	For 39 Labs (One State Lab & 38 District Lab) Rs. @51159/- Lab for Accessories item.	1995201.00
4	Others Item	For 39 Labs (One State Lab & 38 District Lab) Rs. @80542/- Lab for othe item i.e. Air Conditioner, Revolving Stool, Table & Chair.	3141138.00
C. Chemicals			
5	Chemical/Media/Culture	For 38 Labs (38 District Lab) Rs. @180.55/- Sample for Six monthof 38 District Labs.	12349926.00
D. NABL Accreditation/Surveillance			
6	NABL Accreditation	For 39 Labs (One State Lab & 38 District Lab)	15454686.00
E. Wages			
7.	Wages for Microbiologist (for 3 years)	For 39 Labs (One State Lab & 38 District Lab) @ 35000/- month for Microbiologist and @ 30000/- month for Jr. Microbiologist for State lab only.	61480370.00
F. Infrastructure Development			
8	Infrastructure Development (By Aluminium Framing)	For 39 Labs (One State Lab & 38 District Lab) @ 106400/- Rs./lab by developing a room through Aluminium Framing.	4043200.00
		Total	134852590.00

Rupees Thirteen Crore Fourty Eight Lakh Fifty two thousand Five hundred Ninty only.

Technical Approval is being accorded for ₹13,48,52,590/- (Rupees thirteen crores forty eight lakh fifty two thousand five hundred and ninety only for AA purpose only.

Sd/- 27/9/24

(Daya Shankar Prasad)
Chief Engineer, Design
Chief Engineer (Design)
Public Health Engineering Department
Bihar, Patna

Sd/- 27/9/24 Sd/- 27/09/24 Sd/- 27/09/24 Sd/- 27/09/24